पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–26] रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2025 ई0 (अग्रहायण 22, 1947 शक सम्वत्) [संख्या–50

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	895–899	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	375–376	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वन अनुभाग–2

अधिसूचना

05 दिसम्बर, 2025 ई0

संख्या–2955 / X-2-2025-19(10)2021–राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 166 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये "मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली, 2024 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

"मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि (संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षित नाम "मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि (संशोधन) नियमावली, 2025 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 9 का संशोधन 2. मानव वन्यजीव संघर्ष राहत निधि नियमावली, 2024 के नियम 9 के उप नियम (1) में दी गयी तालिका में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये "वयस्क व अवस्यक की मृत्यु पर" के प्रावधान के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये प्रावधान प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात्:–

स्तम्भ–1					स्तम्भ–2				
विद्यमान प्रावधान					एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान				
मानव क्षति का प्रकार	मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली, 2024 के अनुसार राशि हेतु देय दरें (रू0 में)	राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के मानक	भुगतान का स्रोत (रू0 में)		मानव क्षति का प्रकार	मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि (संशोधन) नियमावली, 2025 के अनुसार राशि हेतु देय दरें (रू0 में)	राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के मानक	भुगतान का स्रोत (रू0 में)	
			राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से देय राशि	मानव वन्यजीव सघर्ष राहत वितरण निधि (संशोधन) नियमावली 2025 से देय राशि				राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से देय राशि	मानव वन्यजीव सघर्ष राहत वितरण निधि (संशोधन) नियमावली 2025 से देय राशि
वयस्क व अवयस्क की मृत्यु पर	6,00,000 /–	रू0 4.00 लाख प्रति व्यक्ति। इसमे वे भी शामिल हैं, जो राहत अभियानो में शामिल हैं अथवा तैयारियो सम्बन्धी कार्यकलापों से संबद्ध हैं।	रू0 4,00,000 /– प्रति व्यक्ति	रू0 2,00,000 /– प्रति व्यक्ति	वयस्क व अवयस्क की मृत्यु पर	10,00,000 /–	रू0 4,00,000 /– लाख प्रति व्यक्ति। इसमें वे भी शामिल है, जो राहत अभियानो मे शामिल है अथवा तैयारियों सम्बन्धी कार्यकलापों	रू0 4,00,000 /– प्रति व्यक्ति	रू0 6,00,000 /– प्रति व्यक्ति

		यह उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मृत्यु के कारण सम्बन्धी प्रमाण के अध्याधीन है।							से संबद्ध हैं। यह उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मृत्यु के कारण सम्बन्धी प्रमाण के अध्याधीन है।		

आज्ञा से,
रमेश कुमार सुधांशु,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of Notification No. 2955/X-2-2025-19(10)2021 Dated- December 05, 2025 for general information:

NOTIFICATION

December 05, 2025

No. 2955/X-2-2025-19(10)2021--In exercise of the powers conferred by Article 166 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to make following rules to further amend the Human-Wildlife Conflict Relief Distribution Fund Rules, 2024":-

"The Human-Wildlife Conflict Relief Distribution Fund (Amendment) Rules, 2025"

Short title and commencement	1.	(1)	These rules may be called the Human-Wildlife Conflict Relief Distribution Fund (Amendment) Rules, 2025.
		(2)	It shall come into force with immediate effect.
Amendment of Rule 9 for the Provision	2.		In the table given in sub rule (1) of the Rule 9 of the Human-Wildlife Conflict Relief Distribution Fund Rules, 2024, Provision of Death of an adult or a minor, given in Column 1, Shall be Substituted by the Provision given in Column 2,

Column 1										
Existing Provision						Provision hereby Substituted				
Type of Human loss	Rates payable for ex-gratia as per Human Wildlife Conflict relief Distribution fund Rules, 2024 (in Rs.)	State Disaster Response Fund (SDRF) Norms	Source of payment			Type of Human loss	Rates payable for ex-gratia as per Human Wildlife Conflict relief Distribution Fund (Amendment) Rules, 2025	State Diasaster Response Fund (SDRF) Norms	Source of payment	
			Amount payable from the state disaster Response Fund (SDRF)	Amount due from Human Wildlife Conflict Relief Distribution Fund Rules 2024					Amount payable from the state disaster Response Fund (SDRF)	Amount payable from Human Wildlife Conflict Relief Distribution Fund (Amendment) Rules 2025
Death of adult and minor	6,00,000/-	Rs. 4.00 Lakh per person (including those involved in relief operations	4,00,000 / Per person	2,00,000/- Per person.		Death of an adult or a minor	Rs. 10,00,000/-	Rs 4,00,000 /- Per person, including those involved in relief operations	Rs 4,00,000 /- Per person	Rs 6,00,000 /- Per person.

Note: Column headers "Column 1" spans the existing provision and "Column 2" spans the substituted provision.

		or preparedness activities). This is Subject to proof of the cause of death by the appropriate authority.					or preparedness activities. This is Subject to proof of the cause of death by the appropriate authority.		

By Order,

RAMESH KUMAR SUDHASHU,

Principal Secretary.

राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड

विज्ञप्ति

31 अक्टूबर, 2025 ई0

पत्रांक–443 / तीन–118 / च0सं0 / 2025–उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग–3, देहरादून के शासनादेश संख्या–767 / XVIII(3) / 2025–03 (07) / 2016, दिनांक 14 अक्टूबर 2025 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम–1953 (उ0प्र0अधिनियम संख्या–5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा–52 की उपधारा–(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं रंजना राजगुरू, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्द्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद हरिद्वार, परगना व तहसील रूड़की के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी है :–

क्र0सं0	ग्राम का नाम	तहसील	परगना	जनपद
1	2	3	4	5
1–	डन्ढेड़ी ख्वाजगीपुर अहतमाल	रूड़की	रूड़की	हरिद्वार
2–	डन्ढेड़ी ख्वाजगीपुर मुस्तहकम	रूड़की	रूड़की	हरिद्वार

रंजना राजगुरू,

संचालक, चकबन्दी /

आयुक्त एवं सचिव,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह (अधिष्ठान) अनुभाग–3

अधिसूचना

08 दिसम्बर, 2025 ई0

संख्या–351127/XX-3/2025–02(39)2006/ई–94994–राज्यपाल, राज्य में अग्निसुरक्षा निरीक्षण (Fire Inspection) हेतु मान्यता प्राप्त तृतीय पक्ष (Accredited Third Party) को अनुमन्य किये जाने हेतु गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–342/XX-3/2021–2(39)/2006, दिनांक 29–11–2021 के बिन्दु संख्या–2 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

बिन्दु सं0	विद्यमान प्राविधान	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान
2	15 मीटर से कम ऊँचाई के भवनों हेतु अग्निशमन विभाग स्वतः ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र की बाध्यता नहीं करेगा, किन्तु विकास प्राधिकरणों अथवा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि का पालन करवाने वाली संस्थाओं द्वारा मांगे जाने पर अग्निशमन विभाग अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करेगा।	12 मीटर से कम ऊँचाई के भवनों हेतु अग्निशमन विभाग स्वतः ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र की बाध्यता नहीं करेगा, किन्तु विकास प्राधिकरणों अथवा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि का पालन करवाने वाली संस्थाओं द्वारा मांगे जाने पर अग्निशमन विभाग स्वयं या पैनल में शामिल तृतीय पक्ष के माध्यम से अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

स्पष्टीकरणः तृतीय पक्ष को पैनलबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में सामान्य दिशा–निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

2. उक्त अधिसूचना इस सीमा तक संशोधित समझी जाएगी।

आज्ञा से,
शैलेश बगौली,
सचिव।

पर्यटन अनुभाग–1

कार्यालय–ज्ञाप

08 दिसम्बर, 2025 ई0

संख्या–350812/vi(1)/2025/ई–फाइल–22560–संयुक्त निदेशक पर्यटन निदेशालय के रिक्त 01 पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 06 नवम्बर, 2025 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री सुरेन्द्र सिंह सामन्त, वरिष्ठ शोध अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त निदेशक, पर्यटन के पद पर वेतनमान 15600–39100, ग्रेड वेतन–7600 संशोधित वेतनमान सातवां वेतन मैट्रिक्स लेवल–12 (रू0 78800–209200) में पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
धीराज सिंह गर्ब्याल,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 50 हिन्दी गजट/526–भाग 1–2025 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2025 ई० (अग्रहायण 22, 1947 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

July 10, 2025

No. 215/XIV-a-42/Admin.A/2020--Shri Chetan Singh Gautam, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar, is hereby sanctioned earned leave for 21 days w.e.f. 12.11.2024 to 02.12.2024.

NOTIFICATION

July 10, 2025

No. 218/XIV-a-47/Admin.A/2015--Shri Dharmendra Shah, 6th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 06 days w.e.f. 17.06.2025 to 22.06.2025.

NOTIFICATION

July 10, 2025

No. 219/XIV-a/23/Admin.A/2014--Shri Dayaram, Chief Judicial Magistrate, Almora, is hereby sanctioned earned leave for 20 days w.e.f. 11.11.2024 to 30.11.2024 with permission to prefix 09.11.2024 & 10.11.2024 as second Saturday and Sunday holiday and suffix 01.12.2024 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

July 10, 2025

No. 220/XIV-a-40/Admin.A/2020--Ms. Pratiksha Kesarwani, Civil Judge (Jr. Div.), Pauri Garhwal is hereby sanctioned maternity leave for 180 days w.e.f. 12.08.2024 to 07.02.2025.

NOTIFICATION

July 10, 2025

No. 221/XIV-a-40/Admin.A/2020--Ms. Pratiksha Kesarwani, Civil Judge (Jr. Div.), Pauri Garhwal is hereby sanctioned child care leave for 79 days w.e.f. 11.02.2025 to 30.04.2025.

NOTIFICATION

July 10, 2025

No. 222/XIV/a-36/Admin.A/2021--Ms. Aaysha Farheen, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Nainital, is hereby sanctioned earned leave for 16 days w.e.f. 31.01.2025 to 15.02.2025.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 50 हिन्दी गजट/526–भाग 1–क–2025 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।